A2

फर्द अहकाम

(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री विजय आमेटा पिता बंशीलाल आमेटा निवासी फलवा हाल सेवाश्रम, उदयपुर

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 17/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2019	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्ट श्री विजय आमेटा पिता बंशीलाल आमेटा निवासी फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा, हाल 8, बैंक ऑफ बड़ौदा ए. टी. एम. के पास, सेवाश्रम, उदयपुर ने सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 31.07.2018 को प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.07.2018 को सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में दिनांक 31.08.2018 तक सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की अवधि के भीतर दिनांक 30.09.2018 तक अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की कालावधि समाप्त होने के लगभग 04 माह के पश्चात् दिनांक 30.01.2019 को अपील प्रस्तुत की है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त/कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपील ग्रहण योग्य नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। (शिवांगी स्वर्णकार) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)	

Web Copy - Not Official